

**कार्यालय,
राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश सरकार।**

संख्या- प्राथिप/परिषद/सम्बद्धता/2019/0323

लखनऊ दिनांक 03-08-2019

- कार्यालय ज्ञापन -

संख्या-सम्बद्धता/संख्या/03/2019/0323 में संज्ञित अतिरिक्त संख्या M.A. NO. 1170/2019 IN C.A. NO. 9048/2012 में माग उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 26-7-2019 के अनुपालन में प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार के सम्बद्धता प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 02-08-2019 को अध्यक्ष, प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार एवं अध्यक्षता में परिषद संघीयता के बैठक आयोजित हुई।

माग संख्या/सम्बद्धता द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में प्रस्ताव संख्या 2019-20 के अन्तर्गत वर्ष 2019-20 हेतु शिक्षण से सम्बद्धता प्रदान (गिरे जाने हेतु प्रस्ताव संख्या समिति 12 दिनांक 03-08-2019 में समिति को समुचित विचारणा प्रस्तुत किया गया। सम्बद्धता समिति द्वारा गठित विचार-विमर्श कर निम्नानु निर्णय किया गया। -

माग संख्या/सम्बद्धता में संज्ञित अतिरिक्त संख्या M.A. NO. 1170/2019 IN C.A. NO. 9048/2012 में माग उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 26-7-2019 के अनुपालन में संख्याओं को सत्र 2019-20 हेतु परिषद से सम्बद्धता प्रदान किये जाने के संबंध में समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं निर्णय लिया गया कि संख्या द्वारा ए0आई0सी0टी0ई0, पी0सी0आई0 एवं परिषद से संबंधित समस्त मामलों को सत्र 2020-21 के प्रारंभ होने से पूर्व पूर्ण करना सुनिश्चित करें, एवं इस संबंध में संख्याओं से सम्बद्धता प्राप्त कर लिया जाए कि परिषद की निर्देशानुसारी समिति द्वारा निरीक्षण के दौरान यदि ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0/परिषद के मानवी/उपकरणों एवं सामक-सम्पत्ता में यदि कोई कमी पायी जाती है तो परिषद द्वारा संख्या की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी, जिससे संख्या को कोई असुविधा नहीं होगी।

अतः निम्नानुसार संयोजित संख्या को सम्बद्धता समिति द्वारा किये गये निर्णय के अन्तर्गत राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सत्र 2019-20 हेतु निम्नलिखित संख्याओं के अन्तर्गत प्राथमिक एवं उच्चतर अतिरिक्त प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता प्रदान की जाती है -

क्र. सं.	संख्या संकेत	संस्था का नाम	प्राथमिक का नाम	ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0 द्वारा सत्र 2019-20 में अनुमानित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2019-20 में अनुमानित प्रवेश क्षमता
1	3036	महाशय्या प्रताप कॉलेज ऑफ फार्मसी एण्ड पैरामेडिकल साइंस अटॉरी, लखनऊ	किएलमा इन फार्मसी	80	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संख्या ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0/परिषद द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों को पूर्णतः मानना करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद एक्ट 1982 तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद (निर्देशावली) 1982 तथा अन्य विहित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षों के लिए पर्यवेक्षणों हेतु रु० 30,150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षों के लिए पर्यवेक्षण हेतु रु०- 45,000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक वर्ष की वर्षीय पर्यवेक्षणों (दो वर्षों के लिए पर्यवेक्षणों के अतिरिक्त) हेतु रु०- 22,500.00 प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से मांग किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समक-समय पर संचालन हेतु निर्गत किया जाने वाले साक्षात्कार प्रमाणीकरण और पर्यवेक्षण कार्यवाही किया जाते हुए रहना होगा। अन्य विवरण समिति द्वारा सत्र 2019-20 हेतु केंद्र को सुनिश्चित किया जाता है।

PRINCIPAL

MAHARANA PRATAP COLLEGE OF PHARMACY
& PARAMEDICAL SCIENCES

- ✓ संस्था को प्रस्तावित विद्यार्थियों के नामों का सूचीबद्ध संस्था को भेजना होगा।
- ✓ संस्था में अनुसूचित क्षेत्र परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित छात्रों को भी प्रवेश दिया जायेगा। यहाँ के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की व्यवस्था की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर विगत सरकारों के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को एअरकंडीशनिंग एवं पीएसीआईडो से अगामी रात में अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधि/नियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निर्देशक प्राविधिक शिक्षा संस्थान, संयुक्त प्रदेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ विद्यार्थी इन कार्गरी मातृकाम को संस्थाएँ यदि एअरकंडीशनिंग एवं पीएसीआईडो से अनुमोदन प्राप्त करने में असमर्थ रहती है तो इन संबंध में सख्त उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा और विधिवत रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रदेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निर्देशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग अथवा प्रदेश शासन को कोई रूप में जवाब देना पड़ेगा है तथा इससे पूर्व ही संबंध में मा. स्वा.शासन द्वारा कठोर प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश विगत किया जाता है तो सख्त प्रतिपूर्ति सम्बन्धित संस्था को करनी होगी।
- ✓ विद्यार्थी इन कार्गरी मातृकाम को संस्थाओं को संयुक्त प्रदेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आवेदनित प्रवेश परीक्षा हेतु का अन्तिम प्रारंभ होने से पूर्व पीएसीआईडो से अनुमोदन प्राप्त कर अनिवार्य कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उनके प्रवेश की (कार्यन्वितिक के माध्यम से अथवा संस्था स्वयं पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं देना की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु विगत नवीनतम आस्थापन नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की सख्त सूचनाएँ जैसे संस्था की ऐतिहासिक त्रिविधि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्रायः किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण प्रतिक्षण हेतु उपयुक्त मातावरण उपलब्ध कराने के लिए शिवाज रोड के सम्बन्ध में सख्त आवश्यक जानकारी सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित करेगी कि संस्था में प्रस्तावित/संचालित मातृकाम को चलाने वाले अनु. विद्यार्थी संस्था के सम्बद्ध उपलब्ध कराये गये अधिनियम भूमि-भवन, कर्मचारी सम्पत्ति इत्यादि के साथ संस्था द्वारा किसी अन्य प्रावधानों को संसाधन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपलब्ध का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो सख्त संस्था की सम्बद्धता उत्तर प्रदेश विगत जाने की अनुमति की जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता नहीं तो अनुपालन न किये जाने अथवा पूर्ण का उत्सर्जन किये जाने की स्थिति में विद्यार्थी अनुपालन-संलग्न कार्यवाही की जायेगी।

(सजीव अंगार लिखें)
सही

पृष्ठ- प्राथम/परिषद सम्बद्धता/2019/6324-6368

दिनांक 03-08-2019

प्रतिनिधि-अध्यापक/निदेशक महारानी प्रताप कॉलेज ऑफ फार्मेसी एण्ड पैरामेडिकल साइंस, कोटी मंडाना, कानपुर।

Principal
MAHARANI PRATAF COLLEGE OF PHARMACY
& PARAMEDICAL SCIENCES
Koti Mandhana, Kanpur

(सजीव अंगार लिखें)
सही

**कार्यालय,
राजिन. प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2020/1971

लखनऊ: दिनांक: 15-9-2020

:- कार्यालय ज्ञाप:-

प्रथम भारतीय फार्मेट्री शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मेट्री कलेजियल ऑफ इन्डिया, नई दिल्ली द्वारा सैदिक सत्र 2020-21 हेतु डिप्लोमा स्तरीय फार्मेट्री शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-8-2020 को अध्यक्ष प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2020-21 हेतु आर्गेरिड नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से संबन्धित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मुद्दे पर विचार करते हुए सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त से अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक के पट्टे-3 में डिप्लोमा इन फार्मेट्री पाठ्यक्रम संश्लेषित करने वाली पूर्व से सम्बद्ध संस्थाओं का प्रकरण रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा गहन विचार-विमर्श का निम्नलिखित निर्णय लिया गया :-

- निजी क्षेत्र में स्थापित डिप्लोमा इन फार्मेट्री पाठ्यक्रम संश्लेषित करने वाली संस्थाएं, जो प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से पूर्व से सम्बद्ध हैं, एवं सत्र 2020-21 हेतु पी०सी०आई० द्वारा चर्चे यथावत् अनुमोदन विस्तार प्रदान किया गया है। इन संस्थाओं में पी०सी०आई० द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन विस्तार के अनुसार उनका नाम के समुदाय अंकित पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता के साथ सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने पर समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं सर्वसम्मति से पी०सी०आई० द्वारा प्रदत्त अनुमोदन विस्तार के अनुक्रम में सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार दिये जाने का निर्णय लिया गया।"

दिनांक 14-08-2020 को आहूत सम्बद्धता समिति की बैठक में दिये गये उपरोक्त निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2020-21 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उत्तम अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है :-

क्र० सं०	संस्था कोड	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता	पी०सी०आई० /परिषद द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	3535	कल्याण प्रयाग कॉलेज ऑफ फार्मेट्री एंड टेक्निकल साइंसेज, कोटी, मध्या, जलपुर नगर।	डिप्लोमा इन फार्मेट्री	80	80

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०पी०आई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1962, सेमेस्टर विनियमवली-2018 तथा अन्य विभिन्न नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निधातन समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वार्षिक इन्टींग पाठ्यक्रमों हेतु रु० 20,100.00/- प्रतिवर्ष, दो वार्षिक फार्मेट्री पाठ्यक्रम हेतु रु०-45,000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वार्षिक पाठ्यक्रमों (दो वार्षिक फार्मेट्री पाठ्यक्रम से अतिरिक्त) हेतु रु०-22,500.00 प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क का सम्बन्ध में समझ-समझ पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया

(Handwritten Signature)

जाना आवश्यक होगा। पीस निर्देशन समिति द्वारा यदि सत्र 2020-21 हेतु पीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो पीस की नवीनतम दरें लागू होंगी।

- ✓ संस्था को (3040 प्राथमिक शिक्षा समितियाँ तथा उप समितियाँ, संख्याओं को सम्बद्ध किया जाना) विनियमावली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में समुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। शीटों को रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की परामर्शी को जायेगी।
- ✓ संस्था को समाप्त-समाप्त निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता सुत्क उपलब्ध होगा।
- ✓ संस्था को ए0आई0टी0आई0/पी0सी0आई0 से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधि/नियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राथमिक शिक्षा, उ0प्र0 समुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ0प्र0 तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम की संख्याएँ यदि पी0सी0आई, नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती है तो इस सत्र में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी शार्वनाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राथमिक शिक्षा परिषद, समुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राथमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई नुकसान नहीं किया जाता है तथा नुकसान के संभव में भा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करना होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम संभालित करने वाली संस्थाओं को समुक्त प्रदेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु कन्वन्सिएंस प्रारंग होने के पूर्व पी0सी0आई0 से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अथवा उनके प्रवेश की (कन्वन्सिएंस के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत सर्वोत्तम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएँ जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, रटाक, सत्र-सत्र, उपलब्ध, धन्य किया जाने वाला सुत्क, छात्रवृत्त सुत्क आदि का विकसित-उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपर्युक्त ज्ञातव्य उपलब्ध कलने के साथ रीमिंग रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/संभालित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समस्त उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूनि-भवन, फर्नीचर उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद की इरादा जायकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुमति की जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने उच्चतम शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(डा0 आर0जे0 सिंह)
सचिव

पृ0सं0- प्राथिप/परिषद सम्बद्धता/2020/ 1972-3141

उद् दिनांक: 15-09-2020

प्रतिलिपि-प्रधानाचार्य/निदेशक, महाराजा प्रताप कॉलेज ऑफ फार्मसी एण्ड पैरामेडिकल साइंसेज, जोड़ी, मथाना, कानपुर नगर।

(डा0 आर0जे0 सिंह)
सचिव

प्रारंभिक, प्राथमिक शिक्षा परिषद

उत्तर प्रदेश सरकार

संख्या:- प्राथमिक/परिषद, सम्बद्धता/2021/3507

दिनांक: 08/08/2021

समाचार संघ:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/प्राथमिक कौशल विकास आयोग, नई दिल्ली द्वारा विज्ञापन संख्या 2021-22 हेतु विप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्राप्त किए जाने के तत्परत प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्राप्त किए जाने हेतु दिनांक: 08/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्व से सम्बद्धता/संस्थाओं को सम्बद्धता/विस्तार/सावधानता/प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य सदी पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्राप्त किए जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में विवेचन के निमित्त संस्था को प्राथमिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० सरकार द्वारा सत्र 2021-22 हेतु विस्तारित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 3036-MAHARANA PRATAP COLLEGE OF PHARMACY AND PARAMEDICAL SCIENCES, KOTHLI, MANDHANA, KANPUR NAGAR- 20217

क्रमांक	पाठ्यक्रम का नाम	एचआईएसी/टीआईए/पीसीआईए द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था एचआईएसी/टीआईए/पीसीआईए द्वारा डिप्लोमा की शर्तों को पूरी तरह पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद एक्ट 1982 तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद विनियमकों 1992, सेक्टर विनियमकों-2016 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षों की 7000 पाठ्यक्रमों हेतु ₹ 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षों की पाठ्यक्रम हेतु ₹ 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षों की पाठ्यक्रमों (दो वर्षों की पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु ₹ 22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रायोजक/आयोजक से प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले सारनादेश प्रभावों होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। प्रवेश निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2021-22 हेतु प्रवेश का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो प्रवेश की नवीनताम दो सत्र होंगी।
- ✓ संस्था को 3000 प्राथमिक शिक्षा समितियां तथा उप समितियां संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना विनियमकों-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित छात्रों को ही प्रवेश दिया जाएगा। शीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जाएगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत सारनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को एचआईएसी/टीआईए/पीसीआईए से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधि/नियमों/अधिनियमों/सारनादेशों/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राथमिक शिक्षा, उ० प्र०, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ० प्र० तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ विप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम की संस्थाएं यदि पी.सी.आई. नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती हैं तो इस संबंध में तत्काल उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राथमिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राथमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई काद टापर किया जाता है तथा टापर काद के संबंध में सा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो तत्काल प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ विप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम संयोजित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए

आवधिक प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग चारित्र्य होने के पूर्व पीपीसीआईओ में अनुमोदन प्राप्त कर परीक्षा कार्यक्रम को उपलब्ध कराना होगा अन्वया उन्हें प्रवेश की (अनुमति/विधि के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधी प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।

- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनतम आदेशों के अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि, इलाक, राज-राज्य, उपकरण, प्राप्ति किया जाने वाला भुक्त, छात्रावास भुक्त आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त साधन/उपकरण आदि के साथ रेगिस्टर रोड के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में पर्यटन/सहायित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराने वाले अभिलेख, भूमि-भजन, छात्रावास, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परीक्षा को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुमति की जायेगी।
- ✓ संस्था के स्थलीय निरीक्षण दौरान यदि संस्था में भूमि, भजन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य राज-राज्य एओआईओपीपीसीआईओ परीक्षा के मातृकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्त का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्त का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनत्मक कार्रवाई की जायेगी।

(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

दिनांक: 09/08/2021

पूरा सं०- प्राथम/परीक्षा सम्बद्धता/2021/3538-4809

प्रतिनिधि:-

प्राचार्य/प्रतिनिधि/ MAHARANA PRATAP COLLEGE OF PHARMACY AND PARAMEDICAL SCIENCES, KOTHI, MANDHANA, KANPUR NAGAR- 209217



(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव